रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032025-261816
CG-DL-E-22032025-261816

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1319] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2025/फाल्गुन 29, 1946
No. 1319] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2025/PHALGUNA 29, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2025

का.आ. 1337(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीर भुनेरहेरी वन्यजीव अभयारण्य, पंजाब के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2277(अ), तारीख 1 जुलाई, 2016 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2277(अ), तारीख 1 जुलाई, 2016 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) थाहा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2277(अ), तारीख 1 जुलाई, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मॉनीटरी समिति.** – केंद्रीय सरकार निम्नलिखितसारणी में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली एक मॉनीटरी समिति के नाम से ज्ञात समिति का गठन करेगी, अर्थात्: -

(i)	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), पंजाब सरकार	अध्यक्ष, *पदेन;*
(ii)	ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग, पंजाब सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन;*
(iii)	क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन;*
(iv)	पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जिसे पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर हर तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाए	सदस्य;
(v)	ग्रामीण विकास और आवास विभाग, पंजाब सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन;*
(vi)	कृषि संबंधी, पंजाब सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन;*
(vii)	पटियाला के जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन;*
(viii)	प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जिसे पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर हर तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य;
(ix)	सदस्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य, *पदेन;*
(x)	मंडल वन अधिकारी (संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी)	सदस्य सचिव, *पदेन*।

(2) मॉनीटरी समिति, वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और, उसके पैरा 4 के अधीन दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय अनुमति के लिए भारत सरकार के, यथास्थिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को निर्दिष्ट किए गये हैं।

(3) ऐसे क्रियाकलाप, जो उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, की संवीक्षा मॉनीटरी समिति द्वारा वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मॉनीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(5) मॉनीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए सम्बद्ध विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों के प्रतिनिधि या सम्बद्ध पणधारियों को आमंत्रित कर सकती है।

(6) मॉनीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-IV** में विनिर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(7) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मॉनीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसा वह उचित समझे।"

[फा.सं. 25/23/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण.--मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 1 जुलाई, 2016 को विस्तृत का.आ. 2277(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2025

S.O. 1337(E)—WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Bir Bhunerheri Wildlife Sanctuary, Punjab in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2277(E), dated the 1st July, 2016;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2277(E), dated the 1st July, 2016;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2277(E), dated the 1st July, 2016, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 the following paragraph shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. – (1) There shall be a Committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall comprise of the following persons specified in the Table below, namely:—

(i)	The Chief Conservator of Forests (Wildlife), Government of Punjab	- Chairman, *exofficio*;
(ii)	Representative of Department of Rural Development and Panchayat, Government of Punjab	- Member, *exofficio*;
(iii)	Representative of the Regional Office, Punjab State Pollution Control Board	- Member, *exofficio*;
(iv)	One representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment to be nominated by the Government of Punjab from time to time every three years	- Member;
(v)	Representative of Department of Rural Development and Housing Department, Government of Punjab	- Member, *exofficio*;

(vi)	Representative of Agricultural, Government of Punjab	- Member, *exofficio*;
(vii)	Representative of District Collector of Patiala	- Member, *exofficio*;
(viii)	An expert in the area of ecology from reputed Institution or University to be nominated by the Government of Punjab from time to time every three years	- Member;
(ix)	Member, State Biodiversity Board	- Member, *exofficio*;
(x)	Divisional Forest Officer (In-charge of Protected Area)	- Member Secretary.

(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, *vide* number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-IV

(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions."

[F. No. 25/23/2014-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 2277(E), dated the 1st July, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.22 09:14:44 +05'30'